ऑन लाईन नं. GCMS 2024/82

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 31/2024

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

–विक्रेता –

1. श्री नानक सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह
   मै. पंजाबी फ्रेश फार्म, जगदम्बा मार्केट, ट्रक यूनियन, श्रीगंगानगर।

–मालिक–

2. श्री हरभिन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह
   मै. पंजाबी फ्रेश फार्म, जगदम्बा मार्केट, ट्रक यूनियन पुली, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

दिनांक: 31.01.2025

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक– प.5 (01) चिस्वा/ ग्रुप 3/2023/10018 दिनांक 15.12.2023 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता / संस्था. /2023/10077 दिनांक 26.12. 2023 किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.03.2024 को समय दोपहर 12:15 बजे को **मैसर्स पंजाबी फ्रेश फार्म, जगदम्बा मार्केट, ट्रक यूनियन पुली, श्रीगंगानगर** पर पहुँचा, मौके श्री **नानक सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह (विक्रेता)**, पंजाबी फ्रेश फार्म, जगदम्बा मार्केट, ट्रक यूनियन पुली, श्रीगंगानगर को अपना परिचय देकर संस्थान पर चिलर के अन्दर खाद्य पदार्थ दूध के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने चिलर के अन्दर रखे खाद्य पदार्थ 65 लीटर **गाय का दूध** को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया मुझे इसी खाद्य पदार्थ गाय का दूध में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ गाय का दूध का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री नानक सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री नानक सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह (विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** 2 किलोग्राम को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त कयशुदा खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** का नगद भुगतान 90 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2215** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2215** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री नानक सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह(विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./314/Act/2024/314 Dated 02-04-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2215 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री नानक सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह और श्री हरभिन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह, मैसर्स पंजाबी फ्रेश फार्म, जगदम्बा मार्केट, ट्रक यूनियन पुली, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **गाय का दूध** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 24.05.2024 को प्रस्तुत किया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी के खिलाफ खाद्यय सुरक्षा एवंम मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रकरण स0–31/2024 सरकार बनाम नानक सिंह मैसर्स पंजाबी फ्रेश फार्म, जगदम्बा मार्केट ट्रक यूनियन पुलिया श्री गंगानगर के खिलाफ प्रकरण स0–31/24 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही अम्ल में लाई गई थी जिसकी तारीख पेशी आज है प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है कि– धारा 26 (2) (11)/51 एफ.एफ.एस.ए 2006 सहपठित नियम व विनियम 2011 के अन्तर्गत पेश कर वर्णित किया है कि दिनांक–21.03.2024 को दोपहर बाद 12:15 पी एम पर उपरोक्त दुकान पर पहुंचने पर नानक सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह विक्रेता के रूप में उपस्थित था एवंम जो दूध का विक्रय कर रहा था उसको गाय का दूध कह कर बेचान कर रहा था संस्थान का निरीक्षण किया गया तो 65 लीटर गाय का दूध को आम जन के विक्रय हेतु जो मौजूद था जांच करने के पश्चात सब स्टेण्डेड फूड पाया गया इस प्रकार से गाय का दूध विक्रय करके सह पठित नियम व विनियम 2011 मे दोषी पाया गया अब प्रार्थी उपरोक्त सम्बंध मे अपना जवाब पेश कर रहा है। प्रार्थी का काम नया नया था एवंम पूर्ण रूप से उपरोक्त सम्बंध मे हमारे पास साधन उपलब्ध नही थे अब प्रार्थी द्वारा दूध की जांच की मशीन का क्रय हमारे द्वारा कर लिया गया है प्रार्थी श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर उक्त प्रत्रावली का निस्तारण करवाना चाहते है तथा प्रार्थी आईन्दा पूरा ध्यान रखेंगे की किसी प्रकार की कोई चूक ना प्रार्थी एक छोटा व्यापारी है तथा उसे कानून का ज्ञान नही था आईन्दा प्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई गलती नही करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी को माफ किया जावे। अतः जवाब परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि लोक अदालत की भावना से उक्त प्रत्रावली का निस्तारण किया जावे। श्रीमान जी की अतिः कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **गाय का दूध** का सैम्पल **K-2215** जांच रिपोर्ट क्रमांकः– L.S./314/Act/2024/314 Dated 02-04-2024 द्वारा **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का काम नया नया था एवंम पूर्ण रूप से उपरोक्त सम्बंध मे हमारे पास साधन उपलब्ध नही थे अब प्रार्थी द्वारा दूध की जांच की मशीन का क्रय हमारे द्वारा कर लिया गया है प्रार्थी श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर उक्त प्रत्रावली का निस्तारण करवाना चाहते है तथा प्रार्थी आईन्दा पूरा ध्यान रखेंगे की किसी प्रकार की कोई चूक ना प्रार्थी एक छोटा व्यापारी है तथा उसे कानून का ज्ञान नही था आईन्दा प्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई गलती नही करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी को माफ किया जावे। अतः जवाब परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि लोक अदालत की भावना से उक्त प्रत्रावली का निस्तारण किया जावे। श्रीमान जी की अतिः कृपा होगी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया **Sample of Cow Milk bearing code No. K-2215 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not Conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and, Food Addiative) Regulations, 2011** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री नानक सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह और श्री हरमिन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह, मैसर्स पंजाबी फ्रेश फार्म, जगदम्बा मार्केट, ट्रक यूनियन पुली, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री नानक सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह और श्री हरमिन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह, मैसर्स पंजाबी फ्रेश फार्म, जगदम्बा मार्केट, ट्रक यूनियन पुली, श्रीगंगानगर** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)